# न्यूज़ टुडे

## सोडियम-आयन बैटरी के क्षेत्र में भारतीय वैज्ञानिकों को मिली बड़ी सफलता

विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के तहत काम कर रही एक शोध टीम ने एक **सुपर-फास्ट चार्जिंग सोडियम-आयन बैटरी (SIB)** विकसित की है। यह केवल **6 मिनट में 80% तक चार्ज** हो सकती है और **3000 से अधिक चार्ज साइकिल** तक चल सकती है।

**सोडियम-आयन बैटरी (SIB) के बारे में**

- **परिभाषा:** यह एक **प्रकार की रिचार्जेबल बैटरी है**, जो लिथियम बैटरी की तरह काम करती है। हालांकि, इसमें **लिथियम आयनों (Li+) की बजाय सोडियम आयनों (Na+)** का उपयोग किया जाता है।
- **सोडियम-आयन बैटरी (SIB) कैसे काम करती है?**
  - **डिस्चार्ज के समय:** सोडियम आयन **एनोड (ऋणात्मक इलेक्ट्रोड) से कैथोड (धनात्मक इलेक्ट्रोड) की ओर** जाते हैं ,जहां ये आयन जमा होते हैं और रिडक्शन प्रक्रिया संपन्न होती है।
  - ये आयन **इलेक्ट्रोलाइट (एक विद्युत कंडक्टर)** के माध्यम से गमन करते हैं। ये इलेक्ट्रोलाइट **विभवांतर** (Potential difference) उत्पन्न करके विद्युत प्रवाह को संभव बनाते हैं।
  - **रिचार्ज के दौरान:** सोडियम आयन **एनोड पर वापस लौट** आते हैं।

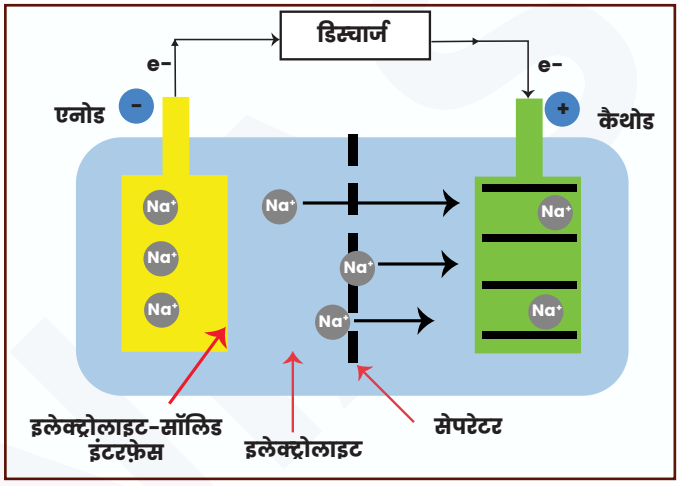


**लिथियम-आयन बैटरी (LIBs) की तुलना में सोडियम-आयन बैटरी (SIBs) के लाभ:**

- **लागत:** SIBs की लागत तुलनात्मक रूप से **कम** होती है। सोडियम के यौगिक लिथियम से सस्ते होते हैं, जिससे बैटरी की कुल लागत **15% से 20% तक कम** हो सकती है।
- **आपूर्ति श्रृंखला का विकेन्द्रीकरण:** सोडियम धरती पर भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिससे इसका उत्पादन दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में हो सकता है। इससे भू-राजनीतिक जोखिम का असर कम हो जाता है।
  - उदाहरण के लिए- 2023 तक **वैश्विक लिथियम प्रसंस्करण में चीन की लगभग 60% हिस्सेदारी** थी। यह स्थिति लिथियम आपूर्ति श्रृंखलाओं में मौजूद केन्द्रीयता को उजागर करती है जिसमें SIBs विविधता लाने में मदद कर सकती है।
- **प्रौद्योगिकी:** SIBs वस्तुतः LIBs की तुलना में ज्यादा और कम, दोनों तापमान पर काम कर सकती है। इसलिए, तापमान में अधिक भिन्नता वाले क्षेत्रों में भी इनका सुरक्षित रूप से उपयोग किया जा सकता है।
- **सुरक्षा:** SIBs का परिवहन **शून्य वोल्टेज (पूरी तरह डिस्चार्ज)** पर भी किया जा सकता है। इससे LIBs की तुलना में आग लगने का जोखिम कम होता है और सुरक्षा उपायों की लागत भी कम होती है।

## एक रिपोर्ट के अनुसार महिला उद्यमी वैश्विक GDP में 5 ट्रिलियन डॉलर तक की वृद्धि कर सकती हैं

यह संभावना **चेरी ब्लेयर फाउंडेशन फॉर विमेन** की एक रिपोर्ट में व्यक्त की गई है। इसमें बताया गया है कि महिला उद्यमी निम्न और मध्यम आय वाले देशों में **आर्थिक संवृद्धि एवं गरीबी उन्मूलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं।**

- यदि महिलाएं पुरुषों के बराबर उद्यमिता में भाग लें, तो **वैश्विक GDP में लगभग 5 ट्रिलियन** डॉलर की बढ़ोतरी हो सकती है। यह आंकड़ा **जापान की अर्थव्यवस्था** के बराबर है।
- हालांकि, महिलाओं का व्यवसायों में अच्छा-खासा स्वामित्व है (लैटिन अमेरिका में 50%, पूर्वी एशिया में 44% आदि), फिर भी उन्हें कई व्यवस्थागत समस्याओं का सामना करना पड़ता है। ये समस्याएं उनके व्यवसाय की सफलता में बाधा बनती हैं।

**महिला उद्यमियों के सामने आने वाली प्रमुख चुनौतियां**

- **वित्तीय उपलब्धता:** ऋण लेने की उच्च लागत, गारंटी या जमानत संबंधी सख्त अनिवार्यताएं और वित्तीय ज्ञान की कमी महिलाओं के लिए पूंजी जुटाना मुश्किल बनाते हैं।
- **पंजीकरण संबंधी बाधाएं:** उच्च लागत और जटिल नौकरशाही औपचारिक रूप से व्यवसाय के पंजीकरण में बाधा उत्पन्न करती हैं।
- **इंटरनेट की कमी:** निम्न और मध्यम आय वाले देशों में किए गए सर्वेक्षण के अनुसार 92% महिला उद्यमियों के पास निजी स्मार्टफोन है, जबकि 45% उच्च डेटा लागत और खराब कनेक्टिविटी के कारण नियमित रूप से इंटरनेट का उपयोग नहीं कर पाती हैं।

**लैंगिक समानता के लिए मुख्य सिफारिशें**

| डिजिटल पहुंच | व्यवसाय का औपचारिक रूप | कानूनी संरक्षण | वित्तीय समावेशन | ऑनलाइन सुरक्षा |
|---|---|---|---|---|
| वहनीय इंटरनेट और डिजिटल शिक्षा/ AI प्रशिक्षण को बढ़ावा देना चाहिए। इससे महिलाएं भी डिजिटल दुनिया से जुड़ सकेंगी और लैंगिक डिजिटल विभाजन को कम किया जा सकेगा। | व्यवसाय पंजीकरण की प्रक्रिया को सरल बनाना और रुकावटों को हटाना चाहिए। | लैंगिक हिंसा के खिलाफ मजबूत कानून बनाना चाहिए और शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान एवं प्रभावी बनाना चाहिए। | मोबाइल मनी और डिजिटल भुगतान के साधनों को बढ़ावा देना चाहिए। इससे महिलाएं आसानी से वित्तीय सेवाओं तक पहुंच बना सकेंगी। | महिलाओं को ऑनलाइन उत्पीड़न से बचाने के लिए मानव और AI आधारित मॉडरेशन टूल्स का उपयोग करना चाहिए। |

- **ऑनलाइन सुरक्षा बाधाएं:** रिपोर्ट में पाया गया है कि सर्वेक्षण में शामिल 57% महिला उद्यमियों ने किसी न किसी रूप में ऑनलाइन उत्पीड़न का सामना किया है।
- **ई-कॉमर्स संबंधी सीमाएं:** उच्च लागत, भुगतान संबंधी अनिश्चितता और जटिल ऑनबोर्डिंग के कारण ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म का कम उपयोग होता है।
- **आवागमन में बाधाएं:** कई महिलाओं को कहीं जाने के लिए किसी के साथ की जरूरत होती है, उनके विशेष प्रबंध करने पड़ते हैं, और कुछ को सुरक्षा कारणों से समय की पाबंदी का भी सामना करना पड़ता है।

## नीति आयोग की एक रिपोर्ट के अनुसार 'विकसित भारत 2047' के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं को मजबूत करना आवश्यक है

हालिया वर्षों में, **भू-राजनीतिक तनावों के बढ़ने, रक्षा उत्पादों की वैश्विक आपूर्ति में बाधा उत्पन्न होने और साइबर सुरक्षा जैसे खतरों ने रक्षा क्षेत्रक से जुड़े लॉजिस्टिक्स की सुभेद्यताओं को उजागर** किया है।

- नीति आयोग ने अपने एक शोध-पत्र में **निम्नलिखित लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए सुधारों का सुझाव दिया है-**
  - रक्षा उत्पादों की निरंतर आपूर्ति में आने वाली चुनौतियों को दूर करना और
  - 2029 तक देश में ही 3 लाख करोड़ रुपये मूल्य का रक्षा क्षेत्रक से जुड़ा उत्पादन करना।

**भारत में रक्षा उत्पादन की स्थिति:**

- **स्वदेशी रक्षा उत्पादन:** भारत का वार्षिक रक्षा उत्पादन 2023-24 में 1,27,000 करोड़ रुपये रहा। यह **2014-15 की तुलना में 174% की वृद्धि** है।
- **रक्षा उत्पादों का निर्यात: 2023-24 में 21,000 करोड़ रुपये मूल्य के रक्षा से जुड़े उत्पादों का निर्यात** किया गया है। यह **अब तक का सबसे अधिक रक्षा निर्यात** है।
- **निजी क्षेत्र की भागीदारी:** 2024-25 में रक्षा निर्यात में **निजी क्षेत्रक का योगदान 15,233 करोड़ रुपये** रहा।

**नीतिगत सिफारिशें:**

- **सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देना चाहिए:**
  - **मरम्मत व रखरखाव** को आउटसोर्स करना चाहिए तथा **अनुसंधान एवं विकास (R&D) में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रक के बीच सहयोग** को बढ़ावा देना चाहिए।
  - **'सरकार के स्वामित्व में और कॉरपोरेट द्वारा संचालित (Government-Owned, Corporate-Operated: Go-Co)'** मॉडल अपनाना चाहिए। इससे **निजी क्षेत्रक की कंपनियों को रक्षा क्षेत्रक की स्वामित्व वाली भूमि का औद्योगिक गतिविधियों के लिए उपयोग** करने का अवसर प्राप्त होगा।
  - **MSMEs को प्रोत्साहन** देना चाहिए और रक्षा उत्पादों की खरीद प्रक्रियाओं को सरल बनाना चाहिए। साथ ही, **मंजूरी जैसी विनियामक प्रक्रियाओं में देरी को कम** करना चाहिए।
- **साइबर सुरक्षा रणनीतियां:**
  - रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं के लिए **राष्ट्रीय स्तर के ब्लॉकचेन सुरक्षा मानकों पर आधारित ब्लॉकचेन-आधारित सुरक्षा फ्रेमवर्क** बनाना चाहिए।
  - **साइबर सुरक्षा ऑडिट** नियमित रूप से करना चाहिए। इसके अलावा, किसी भी प्रकार के **साइबर खतरे का तुरंत पता लगाने के लिए एक केंद्रीकृत प्लेटफॉर्म** की शुरुआत करनी चाहिए। रक्षा खरीद प्रक्रिया में **'स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स'** को बढ़ावा देना चाहिए।
- **कानूनी और नीतिगत सुधार:** रक्षा कानूनों में संशोधन करना चाहिए। इससे देश में ही रक्षा उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साइबर सुरक्षा को मजबूती मिलेगी और भू-राजनीतिक संकटों का समय रहते समाधान किया जा सकेगा। एक ऐसा ही कानून **डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट (1962)** है।
- **विश्व के देशों के साथ रक्षा क्षेत्रक में सहयोग:**
  - प्रौद्योगिकी का आदान-प्रदान बढ़ाना चाहिए;
  - **संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, इजरायल** जैसे देशों के साथ रणनीतिक साझेदारियों का विस्तार करना चाहिए,
  - सामरिक उत्पादों की आपूर्ति के लिए **किसी एक आपूर्तिकर्ता पर निर्भर रहने की बजाय कई आपूर्तिकर्ताओं पर विचार** करना चाहिए।

### रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाओं में आने वाली रणनीतिक चुनौतियां और संकट

**आयात पर निर्भरता और भू-राजनीतिक खतरें:** रक्षा आपूर्ति श्रृंखलाएं कई महत्वपूर्ण रक्षा उपकरणों के लिए **विदेशी आपूर्तिकर्ताओं पर निर्भर** करती हैं। भू-राजनीतिक तनाव बढ़ने या व्यापार पर प्रतिबंध के कारण इनकी आपूर्ति बाधित हो सकती है।

**साइबर सुरक्षा से संबंधित खतरे:** साइबर जासूसी, डेटा चोरी इत्यादि के जरिए रक्षा उत्पादों की आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान उत्पन्न करके संवेदनशील सैन्य जानकारी प्राप्त की जा सकती है।

**रक्षा क्षेत्रक के आधुनिकीकरण में चुनौतियां:** रक्षा प्रौद्योगिकियों में हमेशा बदलाव होता रहता है, इससे नई-नई प्रौद्योगिकियां कुछ ही समय में अनुपयोगी हो जाती हैं। इससे रक्षा क्षेत्रक को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।

**अन्य चुनौतियां:**

- रक्षा खरीद नीति अधिक प्रभावी नहीं रही है,
- रक्षा उत्पादों के रखरखाव का बेहतर प्रबंधन नहीं है,
- वित्तीय और बजटीय आवंटन कम है,
- पर्यावरण पर पड़ने वाले प्रभाव का ध्यान रखना पड़ता है,
- मानव पूंजी विकास और कौशल की कमी जैसी चुनौतियां मौजूद हैं।

## गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल ने आठवां स्थापना दिवस मनाया

स्थापना दिवस के अवसर पर गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) ने **भारत में सार्वजनिक क्षेत्रक का पहला जनरेटिव AI-संचालित चैटबॉट 'GeMAI'** भी लॉन्च किया।

**समावेशी आर्थिक संवृद्धि और डिजिटल गवर्नेंस में GeM का परिवर्तनकारी प्रभाव:**

- **विस्तार:** GeM प्लेटफॉर्म 1.6 लाख सरकारी खरीदारों को 23 लाख विक्रेताओं या सेवा प्रदाताओं से जोड़ता है। इस प्लेटफॉर्म से **अब तक 13.4 लाख करोड़ रुपये से अधिक का लेन-देन** हो चुका है।
- **लागत में बचत:** वर्ल्ड बैंक और आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार GeM के जरिए **सरकारी खरीद में लगभग 10% की बचत** हुई है। साथ ही, अब **97% लेन-देन शुल्क मुक्त** हो चुके हैं।
- **GeM ने विविध भागीदारों को सफलतापूर्वक एकीकृत किया है:** 10 लाख से अधिक सूक्ष्म और लघु उद्यम (MSEs); 1.3 लाख कारीगर एवं बुनकर; लगभग 1.8 लाख महिला उद्यमी और 31,000 स्टार्ट-अप्स इस प्लेटफॉर्म से जुड़े हैं।
- **विशेष स्टोर पहलों की शुरुआत से समावेशी खरीद को बढ़ावा मिला:**
  - **कई वंचित और लघु भागीदारों की भागीदारी बढ़ाई गई है: स्टार्ट-अप रनवे, वूमनिया** जैसे स्टोरफ्रंट्स या पहलों ने स्टार्ट-अप्स, सूक्ष्म और लघु उद्यमों तथा महिला नेतृत्व वाले उद्यमों की भागीदारी को बढ़ाया है।
- **लक्ष्यों से बेहतर प्रदर्शन: सूक्ष्म और लघु उद्यमों को 38% और महिला उद्यमियों को लगभग 4% व्यवसाय** देकर GeM ने सरकारी लक्ष्यों से कहीं अधिक उपलब्धि हासिल की है। इन दोनों के लिए लक्ष्य क्रमशः **25% और 3%** निर्धारित किए गए थे।
- **वंचित उद्यमियों को सशक्त बनाना:**
  - **SC/ ST MSMEs के लिए समावेशी खरीद:** सरकारी खरीद में अनुसूचित जाति (SC) और अनुसूचित जनजाति (ST) उद्यमियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए MSME उद्यमियों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग किया जा रहा है।
- **सरस (SARAS) कलेक्शन:** GeM पोर्टल पर भारत के अग्रणी स्वयं सहायता समूहों (SHGs) के हस्तनिर्मित उत्पाद बड़ी संख्या में उपलब्ध हैं।
- **GeM की वैश्विक स्थिति:** GeM जल्द ही दक्षिण कोरिया के KONEPS जैसे प्लेटफॉर्म को पीछे छोड़कर **विश्व का सबसे बड़ा सरकारी खरीद पोर्टल बनने** की दिशा में अग्रसर है।

### गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल के बारे में:

- **शुरुआत:** इसे केंद्रीय **वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने 2016 में लॉन्च** किया था।
- **उद्देश्य:** यह केंद्र और राज्य सरकारों, उनके विभागों तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा **वस्तुओं एवं सेवाओं की खरीद-बिक्री हेतु विशेष डिजिटल ई-कॉमर्स पोर्टल** है। पात्र संस्थाओं के लिए **इस पोर्टल से खरीद अनिवार्य** की गई है।
- **लक्ष्य:** पारदर्शी, प्रभावी और समावेशी सरकारी खरीद व्यवस्था सुनिश्चित करना। पहले यह कार्य **आपूर्ति एवं निपटान महानिदेशालय (DGS&D)** के माध्यम से संपन्न किया जाता था।
- **अन्य विशेषताएं:**
  - सूक्ष्म और लघु उद्यमों से खरीद के प्रावधानों का नियम-पूर्वक और स्वतः पालन सुनिश्चित होता है।
  - निर्णय लेने में मदद करने तथा धोखाधड़ी और विसंगति का पता लगाने के लिए एडवांस्ड एनालिटिक्स का उपयोग किया जाता है।
  - विक्रेता की पहचान को गोपनीय रखते हुए निर्बाध और पारदर्शी खरीद प्रक्रिया अपनाई गई है।

# संयुक्त राज्य अमेरिका के राष्ट्रपति ने 'टेक इट डाउन एक्ट' पर हस्ताक्षर कर इसे कानून बना दिया

टेक इट डाउन एक्ट बिना सहमति के किसी की **निजी तस्वीरें या वीडियो (डीपफेक से निर्मित सहित) ऑनलाइन शेयर करना अपराध** बनाता है। साथ ही, **प्लेटफॉर्म्स को 48 घंटों के भीतर ऐसे कंटेंट को हटाना होगा।**

- **सुव्यक्त डीपफेक के पीड़ित** अब उन्हें बनाने वाले लोगों के खिलाफ **कानूनी कार्रवाई कर सकेंगे।**

**डीपफेक के बारे में**

- **परिभाषा:** यह एक प्रकार का सिंथेटिक मीडिया है, जिसमें **वास्तविक डिजिटल मीडिया जैसा कंटेंट** (वीडियो, ऑडियो, या चित्र) बनाने के लिए **डीप लर्निंग एल्गोरिदम** का उपयोग किया जाता है, ताकि वे यथार्थवादी और भ्रामक दिखें। डीपफेक शब्द **"डीप लर्निंग" एवं "फेक"** (चित्र या वीडियो में किसी व्यक्ति के चेहरे, आवाज़ आदि में हेरफेर करना) को मिलाकर बना है।
  - **डीप लर्निंग:** यह मशीन लर्निंग का एक उपसमूह है, जो **मानव मस्तिष्क की जटिल निर्णय लेने की शक्ति का अनुकरण करने के लिए बहुस्तरीय तंत्रिका नेटवर्क का उपयोग** करता है।

**डीपफेक से उत्पन्न खतरे**

- **डीपफेक का इस्तेमाल कंपनी के अधिकारियों का रूप धारण करके,** कर्मचारियों को फंड ट्रांसफर करने या संवेदनशील जानकारी का खुलासा करने के लिए किया जा सकता है।
- गलत सूचना फैलाने के लिए **राजनेताओं के फर्जी वीडियो बनाए** जाते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** गैबॉन में, राष्ट्रपति के एक डीपफेक वीडियो ने तख्तापलट का संदेह पैदा कर दिया था।
- **डीपफेक का प्रसार मीडिया में विश्वास को खत्म** करता है और वैध वीडियो कंटेंट की प्रामाणिकता के बारे में संदेह पैदा करता है। इससे जनता का विश्वास कमजोर होता है।

**कैसे पता करें कि कोई चीज़ डीपफेक है?**

- **चेहरे की असंगतताएँ:** डीपफेक अक्सर चेहरे के कुछ भावों, लगातार प्रकाश व्यवस्था को बनाए रखने तथा सूक्ष्म हरकतों को दोहराने में संघर्ष करते हैं।
  - **उदाहरण के लिए-** डीपफेक वीडियो में पलकें स्वाभाविक रूप से नहीं झपकती हैं।
- **अप्राकृतिक हरकतें:** कभी-कभी अजीब हरकतें दिखाई देती हैं। **जैसे-** झटके से सिर घुमाना।
- **विकृतियां:** ऐसे कंटेंट में विशेष रूप से तेज गति के दौरान अक्सर धुंधलापन दिखाई देता है।

**डीपफेक से निपटने के लिए शुरू की गई पहलें**

- **सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 के तहत कानूनी प्रावधान**
  - **धारा 66E:** यह गोपनीयता का उल्लंघन करने वाली इमेज को कैप्चर या प्रसारित करने पर दंड आरोपित करती है।
  - **धारा 66D: किसी भी संचार उपकरण का उपयोग करके प्रतिरूपण (Impersonation) के माध्यम से धोखाधड़ी करने के लिए सजा** का प्रावधान करती है।
  - **धारा 67, 67A व 67B:** ये धाराएं वयस्कों या बच्चों से जुड़ी अश्लील या यौन सामग्री को इलेक्ट्रॉनिक रूप में प्रकाशित या प्रसारित करने को दंडित करती हैं।
- **विनियामकीय उपाय:** एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म डीपफेक अपराधों के लिए एफआईआर दर्ज करने में पीड़ितों की सहायता करेगा।
- **प्लेटफॉर्म की जवाबदेही:** धारा 66D के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को डीपफेक को तुरंत हटाने की सलाह दी जाती है या फिर उन्हें कानूनी सुरक्षा से वंचित होने का जोखिम उठाना पड़ता है।

## अन्य सुर्ख़ियां

### के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ और अन्य (1991)

हाल ही में एक **न्यायाधीश के घर से नकद राशि की बरामदगी** के मामले में उपराष्ट्रपति ने **के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ व अन्य (1991)** वाद में दिए गए निर्णय पर **पुनर्विचार की आवश्यकता** जताई।

**'के. वीरास्वामी बनाम भारत संघ व अन्य' निर्णय के बारे में:**

- इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया था कि किसी भी न्यायालय का न्यायाधीश **भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 की धारा 2** के तहत एक **'लोक सेवक'** होता है।
- **न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा:**
  - यदि हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश अथवा सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश के विरुद्ध **कोई शिकायत दर्ज** कराई जाती है, तो FIR दर्ज होने से पूर्व **राष्ट्रपति को भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) से परामर्श करना अनिवार्य** है।
  - यदि शिकायत **भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) के विरुद्ध** हो, तो केंद्र सरकार को **सुप्रीम कोर्ट के किसी अन्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों से परामर्श** करना होगा।

### वैकल्पिक निवेश कोष (Alternative Investment Funds: AIF)

**भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) में निवेश के नियमों में संशोधन** किया।

**वैकल्पिक निवेश कोष (AIF) के बारे में**

- यह भारत में पंजीकृत फंड आधारित संस्था है, जो **निजी रूप से निवेश जुटाती है।** साथ ही, ये अपने निवेशकों के लाभ के लिए निर्धारित निवेश नीति के अनुसार निवेश करने हेतु **भारतीय या विदेशी अनुभवी निवेशकों से फंड भी एकत्रित** करता है।
- ये संस्थाएं **भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (SEBI) द्वारा SEBI (वैकल्पिक निवेश कोष) विनियम, 2012** के अनुसार विनियमित हैं।
- **AIF की निम्नलिखित तीन श्रेणियां हैं:**
  - **श्रेणी I:** ये स्टार्ट-अप्स, सोशल वेंचर, लघु और मध्यम उद्यम (SME) आदि में निवेश करते हैं।
    - इनके उदाहरण हैं- वेंचर कैपिटल फंड, SME फंड आदि।
  - **श्रेणी II:** ये इक्विटी और ऋण प्रतिभूतियों में निवेश करते हैं।
    - इनके उदाहरण हैं: रियल एस्टेट फंड, प्राइवेट इक्विटी फंड आदि।
  - **श्रेणी III:** ये फंड्स **रिटर्न बढ़ाने** के लिए निवेश **उधारी लेकर निवेश** करते हैं, जिनमें **सूचीबद्ध या गैर-सूचीबद्ध डेरिवेटिव्स में निवेश** भी शामिल है।
    - इनके उदाहरण हैं: हेज फंड, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट इन पब्लिक इक्विटी (PIPE) फंड आदि।

### ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट (OSA), 1923

एक **यूट्यूबर पर पाकिस्तान के लिए जासूसी** करने का आरोप लगाया गया है। इस आरोप के बाद उसके खिलाफ **ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 की धारा 3 (जासूसी) और धारा 5 (विदेशी एजेंटों से संपर्क), तथा भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 152** के तहत मामला दर्ज किया गया है।

- **भारतीय न्याय संहिता की धारा 152:** इसमें **भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को खतरे में डालने वाले कृत्यों के लिए कारावास की सजा** का प्रावधान किया गया है।

**ऑफिसियल सीक्रेट्स एक्ट, 1923 के बारे में:**

- **उद्देश्य:** राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित **संवेदनशील सूचनाओं की रक्षा करना और जासूसी जैसी गतिविधियों पर रोक** लगाना।
- **दायरा:** यह कानून **भारत के सभी नागरिकों पर लागू** होता है – चाहे वे देश के भीतर हों या विदेश में। इसमें सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं।
- **इसमें निम्नलिखित कृत्यों को अपराध माना गया है:**
  - जासूसी,
  - सरकार की गोपनीय जानकारी को बिना अनुमति के साझा करना,
  - ऐसी संवेदनशील सूचनाओं को छिपाना, जो देश की सुरक्षा या हितों को खतरे में डाल सकती हैं।

### ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी

एक हालिया अध्ययन से पता चला है कि **ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी के अंतर्गत धनराशि** प्रकृति की रक्षा करने वाले देशज लोगों तक नहीं पहुंच रही है।

**ग्लोबल एनवायरनमेंट फैसिलिटी (GEF) के बारे में**

- यह एक प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय तंत्र है। इसकी स्थापना **1992 में रियो पृथ्वी शिखर सम्मेलन के दौरान विकासशील देशों को जटिल चुनौतियों से निपटने और अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय लक्ष्यों को पूरा करने में मदद** करने के लिए की गई थी।
- **यह निम्नलिखित 5 प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरणीय अभिसमयों के लिए वित्तीय तंत्र है:**
- जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क अभिसमय (UNFCCC);
- जैव विविधता पर संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCBD);
- मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय (UNCCD);
- पारे पर मिनामाता अभिसमय; तथा
- दीर्घस्थायी कार्बनिक प्रदूषकों (POPs) पर स्टॉकहोम अभिसमय।

## ई-जीरो FIR

केंद्रीय गृह मंत्रालय के भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र (I4C) ने नई ई-जीरो FIR पहल की शुरुआत की।

**ई-जीरो FIR के बारे में:**

- **प्रारंभ:** इसे दिल्ली में पायलट परियोजना के रूप में शुरू किया गया है।
- **उद्देश्य:** साइबर वित्तीय अपराधों की शिकायतों को दर्ज करना आसान बनाना और उन पर त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित करना।
- यदि कोई शिकायतकर्ता राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल (NCRP) या हेल्पलाइन 1930 पर 10 लाख रुपये से अधिक के वित्तीय नुकसान की रिपोर्ट करता है, तो स्वतः रूप से एक "जीरो FIR" दर्ज की जाएगी। यह दिल्ली के ई-क्राइम पुलिस स्टेशन में रजिस्टर्ड होगी।
- इसके बाद यह FIR संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस थानों को तत्काल भेज दी जाएगी।
- शिकायतकर्ता को 3 दिनों के भीतर अपने नजदीकी साइबर अपराध पुलिस स्टेशन में जाकर इस जीरो FIR को नियमित FIR में परिवर्तित करवाना होगा।

## ऑपरेशन ओलिविया

ऑपरेशन ओलिविया ने ओडिशा के गहिरमाथा तट पर 8 लाख से अधिक ओलिव रिडले कछुओं को बचाया।

**ऑपरेशन ओलिविया के बारे में**

- **प्रारंभ:** इसे 1980 के दशक में, भारतीय तटरक्षक बल ने शुरू किया था। यह हर साल नवंबर से मई तक आयोजित किया जाता है।
- यह अभियान गहिरमाथा समुद्र तट, रुशिकुल्या नदी के मुहाने और देवी नदी के मुहाने पर केंद्रित है।
- इन तटीय क्षेत्रों में प्रतिवर्ष 800,000 से अधिक ओलिव रिडले कछुए सामूहिक रूप से अंडे देने आते हैं, इस परिघटना को अरिबादा कहा जाता है।

**ओलिव रिडले कछुओं के बारे में**

- इसका वितरण लगभग संपूर्ण उष्णकटिबंधीय समुद्री क्षेत्रों में पाया जाता है। यह मेक्सिको की खाड़ी को छोड़कर लगभग सभी उष्णकटिबंधीय समुद्री तटीय क्षेत्रों में आकर अंडे देते हैं।
- IUCN स्थिति: वल्नरेबल।
- CITES: परिशिष्ट-I में शामिल।

## यूथालिया मलक्काना तितली

भारत में पहली बार अरुणाचल प्रदेश राज्य में एक नई तितली प्रजाति (यूथालिया मलक्काना ) पाई गई है।

**यूथालिया मलक्काना के बारे में**

- यह तितली मुख्य रूप से इंडो-ऑस्ट्रेलियन क्षेत्र में पाई जाती है। इसे विशेष रूप से दक्षिण-पूर्व एशिया जैसे कि उत्तरी थाईलैंड, मलय प्रायद्वीप और सुंडा द्वीपों में देखा जाता है।
- इस प्रजाति के पंखों पर एक नीला चमकीला धब्बा होता है। नर तितलियों में यह नीला धब्बा खास तौर पर अगले पंखों (Forewings) पर स्पष्ट दिखाई देता है। मादा तितलियों में ये धब्बे थोड़े बड़े होते हैं।
  - पिछले पंखों (Hindwings) पर छोटे-छोटे लाल धब्बे होते हैं।
- यह तितली पर्यावरण के स्वास्थ्य का एक महत्वपूर्ण संकेतक मानी जाती है।

## गैर-व्यक्तिगत डेटा (Non-Personal Data)

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (UIDAI) ने आधार डैशबोर्ड से गैर-व्यक्तिगत व अनाम डेटा (anonymized) को ओपन गवर्नमेंट डेटा प्लेटफॉर्म पर साझा करना शुरू किया।

- इस डेटा का उपयोग डेटा गवर्नेंस और निवेश के उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है।

**गैर-व्यक्तिगत डेटा क्या है?**

- ऐसा कोई भी डेटा जो किसी व्यक्ति की विशेषताओं, लक्षणों या पहचान से संबंधित व्यक्तिगत जानकारी नहीं है, वह गैर-व्यक्तिगत डेटा कहलाता है।
- गैर-व्यक्तिगत डेटा के प्रकार:
  - **सार्वजनिक गैर-व्यक्तिगत डेटा:** सरकार द्वारा एकत्रित अनाम डेटा, जैसे – वाहन पंजीकरण डेटा।
  - **सामुदायिक गैर-व्यक्तिगत डेटा:** किसी समुदाय से प्राप्त कच्चा डेटा, जैसे – नगरपालिका डेटा सेट।
  - **निजी गैर-व्यक्तिगत डेटा:** निजी संस्थाओं से प्राप्त डेटा, जैसे – निजी लॉजिस्टिक्स कंपनियों का डेटा।

## सुर्ख़ियों में रहे स्थल

## अर्जेंटीना (राजधानी: ब्यूनस आयर्स)

अर्जेंटीना के "लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क" में स्थित 'व्हाइट जायंट' कहे जाने वाले पेरिटो मोरेनो ग्लेशियर का क्षेत्र हिमखंड के टूटने से कम हो रहा है। लॉस ग्लेशियर्स नेशनल पार्क एक यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल है।

**भौगोलिक अवस्थिति**

- यह दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित है।
- स्थलीय सीमाएं: इसकी सीमाएं पश्चिम में चिली से; तथा उत्तर में बोलीविया, पराग्वे, ब्राजील और उरुग्वे से लगती हैं।
- इसके पूर्व में अटलांटिक महासागर स्थित है।
- अर्जेंटीना और चिली के मध्य की अंतर्राष्ट्रीय सीमा विश्व स्तर पर संयुक्त राज्य अमेरिका-कनाडा और कजाकिस्तान-रूस के बाद तीसरी सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है।
- अर्जेंटीना के उशुआइया को विश्व का सबसे दक्षिणी शहर माना जाता है।

**भौगोलिक विशेषताएं**

- जलवायु: अधिकांश शीतोष्ण; दक्षिण-पूर्व में शुष्क; तथा दक्षिण-पश्चिम में उप-अंटार्कटिक।
- भू-भाग: इसमें एंडीज पर्वत (पश्चिम में), पम्पास, और पैटागोनिया पठार शामिल हैं।
  - पम्पास (वृक्षविहीन मैदान) कृषि का केंद्र है।
- सबसे उच्चतम बिंदु: सेरो अकोंकागुआ (दक्षिण अमेरिका की सबसे ऊंची पर्वत चोटी)
- प्रमुख नदियां: रियो डी ला प्लाटा यह वास्तव में पराना नदी का मुहाना है।
- अर्जेंटीना वैश्विक लिथियम भंडार में तीसरे स्थान पर और लिथियम उत्पादन में चौथे स्थान पर है।